राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 5715/2024

रमनदीप उर्फ रामी पुत्र जेनरेल सिंह, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी मताना पुलिस थाना सागतमंडी, जिला भठिंडा, पंजाब। (वर्तमान में जिला जेल, कपूरथला पंजाब में बंद)

---याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री पंकज कुमार गुप्ता

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री विक्रम राजपुरोहित, पीपी.

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश(मौखिक)

27/08/2024

1. यह याचिका, सत्र प्रकरण संख्या 20/2014 में विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संगरिया, जिला हनुमानगढ़ द्वारा पारित दिनांक 05.07.2024 के आदेश के विरुद्ध है, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के

माध्यम से अपनी गवाही दर्ज कराने के लिए दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

2. याचिका में बताए गए मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता जिला जेल, कपूरथला में बंद है। पंजाब पुलिस को उसे विचाराधीन मुकदमे के लिए विद्वान ट्रायल कोर्ट, संगरिया, जिला हनुमानगढ़ के समक्ष लाना है। याचिकाकर्ता की स्थानीय गैंगस्टरों के साथ पुरानी दुश्मनी के कारण, पुलिस को उसे हर बार सुरक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा में लाना पड़ता है। इसके बावजूद, याचिकाकर्ता को आशंका है कि पुलिस हिरासत और सुरक्षा में रहते हुए भी दुश्मन गिरोहों या प्रतिद्वंद्वी दलों के सदस्यों द्वारा अचानक हमला किए जाने का उच्च जोखिम है।

2.1 याचिकाकर्ता ने विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें अनुरोध किया गया कि उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों के बयानों की रिकॉर्डिंग सहित अदालती कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जाए। हालाँकि, ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 05.07.2024 के माध्यम से इस अनुरोध को खारिज कर दिया।

2.2 याचिकाकर्ता जब भी विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा बुलाया जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती कार्यवाही में भाग लेने के लिए तैयार है। इसलिए, वह व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट चाहता है।

3. इसलिए, यह विविध याचिका दायर की गई है।

4. इस पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और विद्वान सरकारी अभियोजक को सुना है।

5. दोनों पक्षों को सुनने के बाद, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता की उपस्थिति अक्सर सुनवाई में औपचारिक प्रकृति की होती है, लेकिन राज्य को उसे पर्याप्त सुरक्षा के साथ कपूरथला से संगरिया तक ले जाने का वित्तीय भार वहन करना

पड़ता है। यह अभ्यास अधिकांश मामलों में कोई व्यावहारिक उद्देश्य पूरा नहीं करता, सिवाय उन मामलों के जहां आरोपी की पहचान विवादित है या किसी विशेष बयान को दर्ज करने के लिए उसकी शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है। ऐसे मामलों में, न्यायालय लिखित रूप में कारण दर्ज कर सकता है और शारीरिक उपस्थिति के लिए आवश्यक आदेश जारी कर सकता है। अन्य सुनवाई के लिए,कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा सकती है।

6. उपरोक्त के प्रकाश में, वर्तमान मामले में भी, यह उचित माना जाता है कि याचिकाकर्ता की शारीरिक उपस्थिति केवल तभी विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्देशित की जाए जब यह आवश्यक हो, कारणों को दर्ज करके। अन्य सुनवाई पर उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

7. तदनुसार निपटारा किया जाता है। लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।